

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

आदेश

सं० सं०-17/विविध 01-200/2026

पटना, दिनांक :- / /2026

डा० सत्यम मोहन, सहायक प्राध्यापक (मूलकोटि), नेफ्रोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को वित्त विभागीय ज्ञापांक-9889 दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-14.09.2026 से 28.09.2026 (कुल-15 दिन) तक की अवधि में प्रथम संतान हेतु पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रिणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
-सह-
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-17/विविध 01-200/2026 1168 (17) पटना, दिनांक :- 12/9 /2026

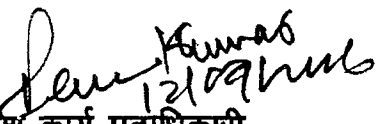
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० सत्यम मोहन, सहायक प्राध्यापक, नेफ्रोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी
-सह-
संयुक्त सचिव
JKS